भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 4193

उत्तर देने की तारीखः 22.03.2021

समग्र शिक्षा अभियान

4193. श्री नारणभाई काछड़िया:
श्री परबतभाई सवाभाई पटेल:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्कूली शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा एकीकृत योजना के उद्देश्य क्या हैं;

(ख) क्या सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) को इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है;

(ग) इस योजना के माध्यम से शिक्षा और प्रशिक्षण को और सुदृढ़ बनाया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो गुजरात में शिक्षा को सुदृढ़ बनाए जाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

उत्तर
शिक्षा मंत्री
(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) से (घ): स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने वर्ष 2018-19 से स्कूल शिक्षा के लिए एक केंद्र एकीकृत प्रायोजित योजना – समग्र शिक्षा शुरू की है। यह योजना सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) और शिक्षक शिक्षा (टीई) की तीन पूर्ववर्ती केंद्र प्रायोजित योजनाओं को समाहित करती है। यह स्कूल शिक्षा क्षेत्र के लिए प्री-स्कूल से बारहवीं कक्षा तक के लिए एक व्यापक योजना है और इसका उद्देश्य स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना है।

समग्र शिक्षा के उद्देश्य (क) गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और छात्रों की शिक्षा के परिणामों को बढ़ाने के प्रावधान; (ख) स्कूली शिक्षा में सामाजिक और महिला-पुरूष अंतर को पाटना; (ग) स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों

पर इक्विटी और समावेश सुनिश्चित करना; (घ) स्कूली प्रावधानों में न्यूनतम मानक सुनिश्चित करना; (ट) व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना; (च) नि: शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा (आरटीई) अधिनियम, 2009 के कार्यान्वयन में राज्य को सहायता; और (छ) शिक्षक प्रशिक्षण के लिए नोडल एजेंसियों के रूप में एससीईआरटी/राज्य शिक्षा संस्थानों और डाइट का सुदृढ़ीकरण और उन्नयन शामिल हैं।

समग्र शिक्षा के तहत, गुजरात राज्य सहित राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को विभिन्न हस्तक्षेप जैसे कि वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक नए स्कूल खोलने/सुदृढ़ करने, स्कूल भवनों और अतिरिक्त कक्षा-कक्षों के निर्माण, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना, उन्नयन और सञ्चालन, आवासीय विद्यालय/छात्रावास की स्थापना, नि:शुल्क वर्दी, नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकें, परिवहन भत्ता, नामांकन अभियान, आवासीय के साथ-साथ गैर-आवासीय प्रशिक्षण आदि विभिन्न हस्तक्षेपों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। विशेष स्कूलों की जरूरतों वाले बच्चों की समावेशी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और आई.सी.टी.के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है।

इसके अलावा, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने अगस्त, 2019 में समग्र शिक्षा के तहत निष्ठा (स्कूल प्रमुखों और शिक्षक समग्र प्रगति के लिए राष्ट्रीय पहल) नामक एक एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। निष्ठा का उद्देश्य शैक्षिक खेल और क्विज़, सामाजिक-भावनात्मक शिक्षा, प्रेरक बातचीत, टीम निर्माण, स्कूल आधारित मूल्यांकन, अंतर्निहित निरंतर प्रतिक्रिया तंत्र, ऑनलाइन निगरानी और समर्थन प्रणाली, प्रशिक्षण अंतराल और प्रभाव विश्लेषण (पूर्व और पोस्ट प्रशिक्षण) सहित गतिविधि आधारित मॉड्यूल के माध्यम से शिक्षकों, हेड मास्टर्स/प्रिंसिपल,शिक्षक शिक्षकों/राज्य के अधिकारियों की क्षमता का निर्माण करना है। कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों के मद्देनजर, इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को शिक्षा और शिक्षण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऑनलाइन किया गया है।

*****